(564)

(52)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.18(38)नविवि/एमएयपी/2014/पार्ट   जयपुर, दिनांक 31 MAY 2017

आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना –2015 के तहत धारा 90ए की कार्यवाही 30 दिवस में पूर्ण करने के पश्चात् विकासकर्ता द्वारा भवन मानचित्र/ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर, तीन कार्यदिवस में प्रोविजनल अनुमोदन जारी किये जाने का प्रावधान किया हुआ है, परन्तु नगरीय निकायों में धारा 90 ए की कार्यवाही 30 दिवस की निर्धारित अवधि में सम्पादित नहीं होने तथा भवन मानचित्र अनुमोदन में लग रहे समय को देखते हुए वर्तमान प्रक्रिया के विकल्प के रूप में भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. विकासकर्ता द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण कर निकाय स्तर पर एकल पट्टा के प्रकरणों में पट्टा प्राप्त कर भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु संबंधित निकाय में भवन विनियमों में प्रावधानानुसार अनुमोदन शुल्क (जांच फीस) जमा करानी होगी।
2. जांच फीस जमा की रसीद व प्रस्तावित भवन मानचित्र एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स को प्रस्तुत करने होंगे, जिनका भवन विनियमों के मानदण्डों के अनुसार परीक्षण कर एक सप्ताह में एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा अनुमोदन किया जाकर एक प्रति विकासकर्ता को तथा एक प्रति संबंधित नगरीय निकाय को देनी होगी।
3. भवन मानचित्र/ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु निर्धारित चैकलिस्ट (संलग्न) की पूर्ति एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा की जायेगी तथा एक मूल प्रति संबंधित निकाय को भी उपलब्ध करानी होगी।
4. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स को फीस विकासकर्ता द्वारा आपसी सहमति से तय की जानी होगी। यह फीस संबंधित निकाय में जमा करायी गयी जांच फीस के अतिरिक्त होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

3/6/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, नगरीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, समस्त।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
8. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पथम